न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आरएएस)

प्रकरण संख्या :– 51 / 2024
जीसीएमएस नं.:– 2024 / 103
प्रतिष्ठि दिनांक:– 03.04.2023
निर्णय दिनांक :– 03.03.2025

॥–उनवान–॥

1. श्री रूपा पिता बदा तावीयाड जाति गीणा निवासी चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री जीवतराम पिता बदा तावीयाड जाति गीणा निवासी चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।

2. श्रीमती सविता पत्नि स्व. शान्तिलाल तवीयाड निवासी चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।

3. लता पुत्री स्व. शान्तिलाल तवीयाड निवासी चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार विछीवाडा जिला डूंगरपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर जिला डूंगरपुर।

6. पटवारी, पटवार हल्का चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।

– रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी नामान्तरण सं. 3051 आदेश प्रमाणीत दिनांक 27.01.2007 प्रमाणीत कर्ता तहसीलदार डूंगरपुर

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :

(1) श्री नरेश जोशी, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री नवीन शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेण्ट,संख्या 1 की ओर से।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(3) श्री शफाकत अभिभाषक रेस्पोडेण्ट,संख्या 2 व 3 की ओर से।

—:निर्णय :— दिनांकः— 03.03.25

1 अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत पेश किया है। अपील प्रार्थना का संक्षिप्त सार इस प्रकार है की अपीलांट व रेस्पोडेण्ट एक ही परिवार के होकर उनके पुर्वजों से प्राप्त भूमि ग्राम चुण्डावाडा में स्थित है जिस पर सभी पक्षकार का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा होकर जिसके खसरा नम्बर 3115,3139,3141,3143,3144,3145,3147,3157,5858/2158 रहे है।

रेस्पोडेण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3143 व 3145 पर तारबन्दी करने लगा और कहने लगा यह आराजीयात सिर्फ उनकी है। वादग्रस्त भूमि की जब नकले प्राप्त की गई तो यह तथ्य सामने आया की संयुक्त कब्जे काश्त की उपरोक्त भूमि के अलग अलग खाते इतंकाल संख्या 3051 के आधार पर दर्ज हो गये हैं, इतंकाल संख्या 3051 इस आधार पर खोला गया की रेस्पोडेण्ट द्वारा स्टांप पेश कर आपसी बटवारा करा लिया गया हैं जबकि अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट के मध्य किसी प्रकार का स्टांप लिखा जाकर वादग्रस्त भूमि का कोई बटवारा कभी भी नहीं किया गया है यहां तक की कोई भी स्टांप आप दिनांक तक इस भूमि बाबत नहीं लिखा गया है। उपरोक्त बटवारा होने तथा खाते अलग दर्ज होने से संबधीत दस्तावेज और इंतकाल की नकले प्राप्त की जाकर उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा के न्यायालय में एक प्रकरण संख्या 20/23 वाद पेश किया।

वादग्रस्त भूमि पर खोला गया इंतकाल गलत रूप से खोला गया है। इंतकाल खोले जाते समय अपीलाण्ट उपस्थित नहीं था और ना हीं उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति प्रदान की गई है। ऐसा कोई स्टांप आज तक नहीं लिखा गया है जिस पर अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट की भुमि के बटवारे बाबत लिखावट हुई हो। अपीलाण्ट द्वारा इंतकाल में अंकित इकरारनामा प्राप्त करने का प्रयास किया गया लेकिन तहसीलदार व पटवारी हल्का किसी के पास भी उपरोक्त दस्तावेज इकरानामा या पत्रावली की कोई नकल उपलब्ध नहीं हो पा रहीं हैं। तहसीलदार डूंगरपुर का बटवारा संबधी और इंतकाल खोले जाने संबधी आदेश पूर्ण रूप से कानूनी प्रकिया के खिलाफ होने से तथा न्यायिक सिद्वान्तों के खिलाफ होने से खारिज योग्य हैं ।

इंतकाल खोले जाने व विधि अनुसार बटवारा किए जाने से पुर्व विधिक नियमों की पालना की जानी आवश्यक थी जिसमें अपीलाण्ट को सुना जाना तथा उसके प्रत्येक कागजात पर हस्ताक्षर कराए जाने और बयान लिए जाने आवश्यक थे लेकिन इस प्रकरण में ऐसा किसी प्रकार से नहीं हुआ है, गलत इंतकाल प्रमाणीत किया गया है जो प्रथम दृष्टया गलत होने से निरस्त योग्य है। राजस्व केम्प में प्रस्तुत कथित बटवारा का स्टांप की सत्यता को जांचा जाना आवश्यक था तथा अपीलाण्ट से पुछताछ की जानी आवश्यक थी लेकिन इंतकाल खोले व प्रमाणीत किए जाने से पुर्व ऐसा नहीं किया गया क्योंकि यदि अपीलाण्ट को

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

बुलाया होता पुछताछ की गई होती तो अपीलाण्ट वास्तविक स्थिति से अवगत कराता और इंतकाल नही खोला जाता और बटवारा नहीं होता इसलिए अपीलाण्ट को नहीं बुलाया गया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त इंतकाल गलत रूप से खोला गया है जिस आधार पर यह इंतकाल संख्या 3051 दिनांक 27.01.2007 निरस्त व खारीज योग्य है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 3051 प्रमाणीत कर्ता तहसीलदार डूंगरपुर जो ग्राम चुण्डावाडा की भूमि के लिए खोला गया है को निरस्त फरमावें।

2 उपरोक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेण्ट द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट न. 1 से 3 के बीच आपसी बटवारे होकर अलग अलग खाते कायम होने से अपने अपने हिस्से की आराजी पर पक्षकार का अलग अलग कब्जा है। संयुक्त रूप से कब्जा काश्त नहीं चला आ रहा हैं । रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के हिस्से का आपसी बटवारा के अनुसार सभी सह खातेदारों के हिस्से मौके पर कब्जे एवं रिकोर्ड के अनुसार जो बाप दादाओं द्वारा विभाजित किये गये है के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इंतकाल संख्या 3051 सभी खातेदारों की सहमति से खोला गया है। सह खातेदारों के खोले गए खाते के अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के हिस्से में आयी आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 को किसी प्रकार के स्टाम्प की जानकारी नहीं है रेस्पोडेण्ट न.1 द्वारा किसी प्रकार का स्टाम्प प्रस्तुत कर नामान्तरण्करण प्रमाणित करवाया हो तो उसकी भी जानकारी नहीं है।

नामान्तकरण बटवारा सम्बन्धित विधिवत रूप से किया गया है किसी प्रकार की अनियमिता नहीं बरती गई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के हिस्से में सडक पर मामुली आराजी दी जाकर दुसरी आराजी पीवल दो फसली है उसे अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट न. 1 ने अपने पास रखा होकर रेस्पोडेण्ट नं. 1 ने अपने पास रखा होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 को मकान एवं मकान के पास कुछ आराजी के अलावा दुसरी आराजीयात बटवारे में दी गई है वह पहाडी दरा की है एवं अच्छी आराजीयात अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने कब्जा किये हुए है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पति का एवं पुत्र का स्वर्गवास हो जाने से पुत्री संतान होने से हिस्से की आराजी पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं 1 अतिक्रमी बने हुए है। राजस्व केम्प प्रभारी द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए विधिवत रूप से नामान्तकरण प्रमाणित किया गया है इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमिता नहीं बरती गई है।

नामान्तकरण वर्ष 27.01.2007 को खोला जाकर खाते अलग कायम हो चुके है। संयुक्त खाते की आराजीयात का नामान्तकरण संख्या 3051 के अनुसार अपीलाण्ट के हिस्से में खाता संख्या 587/399 से कुल खसरे 7 रकबा कुल क्षेत्रफल 0.6100 हेक्टर, रेस्पोडेण्ट न. 1 के हिस्से में खाता न. 251/399 से कुल खसरे 5 कुल रकबा 0.7500 हेक्टर एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के हिस्से में खाता न. 670/399 के कुल खसरा 8 कुल क्षेत्रफल 0.7600 हेक्टर आये हैं। अपीलाण्ट को वर्ष 2007 से खाते अलग अलग कायम होने की जानकारी होते हुए अब इस प्रकार की अपील प्रस्तुत किया जाना विधि एवं न्याय सिद्वान्तों

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

के विपरीत होकर मियाद बाहर है। विरासती आराजी का मौके पर किस्म एवं कब्जे के आधार पर समान रूप से बटवारे होकर अलग अलग खाते कायम हो चुके होने से नामान्तकरण किसी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपील खारिज की जाकर नामान्तकरण संख्या 3051 को यथावत रखे जाने का आदेश फरमावें।

3. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

4. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेण्ट एक ही परिवार के होकर उनके पुर्वजों से प्राप्त भूमि ग्राम चुण्डावाडा में स्थित है जिस पर सभी पक्षकार का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा होकर जिसके खसरा नम्बर 3115,3139,3141,3143,3144,3145,3147,3157,5858/2158 रहे है।

रेस्पोडेण्ट वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3143 व 3145 पर तारबन्दी करने लगा और कहने लगा यह आराजीयात सिर्फ उनकी है। वादग्रस्त भूमि की जब नकले प्राप्त की गई तो यह तथ्य सामने आया की संयुक्त कब्जे काश्त की उपरोक्त भूमि के अलग अलग खाते इतंकाल संख्या 3051 के आधार पर दर्ज हो गये हैं, इतंकाल संख्या 3051 इस आधार पर खोला गया की रेस्पोडेण्ट द्वारा स्टांप पेश कर आपसी बटवारा करा लिया गया हैं जबकि अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट के मध्य किसी प्रकार का स्टांप लिखा जाकर वादग्रस्त भूमि का कोई बटवारा कभी भी नहीं किया गया है यहां तक की कोई भी स्टांप आज दिनांक तक इस भूमि बाबत नहीं लिखा गया है। उपरोक्त बटवारा होने तथा खाते अलग दर्ज होने से संबधीत दस्तावेज और इंतकाल की नकले प्राप्त की जाकर उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा के न्यायालय में एक प्रकरण संख्या 20/23 वाद पेश किया।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर खोला गया इंतकाल गलत रूप से खोला गया है। इंतकाल खोले जाते समय अपीलाण्ट उपस्थित नहीं था और ना हीं उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति प्रदान की गई है। ऐसा कोई स्टांप आज तक नहीं लिखा गया है जिस पर अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट की भुमि के बटवारे बाबत लिखावट हुई हो। अपीलाण्ट द्वारा इंतकाल में अंकित इकरारनामा प्राप्त करने का प्रयास किया गया लेकिन तहसीलदार व पटवारी हल्का किसी के पास भी उपरोक्त दस्तावेज इकरानामा या पत्रावली की कोई नकल उपलब्ध नहीं हो पा रहीं हैं। तहसीलदार डूंगरपुर का बटवारा संबधी और इंतकाल खोले जाने संबधी आदेश पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ होने से तथा न्यायिक सिद्धान्तों के खिलाफ होने से खारिज योग्य हैं ।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि इंतकाल खोले जाने व विधि अनुसार बटवारा किए जाने से पुर्व विधिक नियमों की पालना की जानी आवश्यक थी जिसमें अपीलाण्ट को सुना जाना तथा उसके प्रत्येक कागजात पर हस्ताक्षर कराए जाने और बयान लिए जाने आवश्यक थे लेकिन इस प्रकरण में ऐसा किसी प्रकार से नहीं हुआ है, गलत इंतकाल प्रमाणीत किया गया है जो प्रथम दृष्टया गलत होने से निरस्त योग्य है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

राजस्व केम्प में प्रस्तुत कथित बटवारा का स्टांप की सत्यता को जांचा जाना आवश्यक था तथा अपीलाण्ट से पुछताछ की जानी आवश्यक थी लेकिन इंतकाल खोले व प्रमाणीत किए जाने से पुर्व ऐसा नहीं किया गया क्योंकि यदि अपीलाण्ट को बुलाया होता पुछताछ की गई होती तो अपीलाण्ट वास्तविक स्थिति से अवगत कराता और इंतकाल नही खोला जाता और बटवारा नहीं होता इसलिए अपीलाण्ट को नहीं बुलाया गया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त इंतकाल गलत रूप से खोला गया है जिस आधार पर यह इंतकाल संख्या 3051 दिनांक 27.01.2007 निरस्त व खारीज योग्य है।

5 **रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस** में जवाब के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट न. 1 से 3 के बीच आपसी बटवारे होकर अलग अलग खाते कायम होने से अपने अपने हिस्से की आराजी पर पक्षकार का अलग अलग कब्जा है। संयुक्त रूप से कब्जा काश्त नहीं चला आ रहा हैं । रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के हिस्से का आपसी बटवारा के अनुसार सभी सह खातेदारों के हिस्से मौके पर कब्जे एवं रिकोर्ड के अनुसार जो बाप दादाओं द्वारा विभाजित किये गये है के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इंतकाल संख्या 3051 सभी खातेदारों की सहमति से खोला गया है। सह खातेदारों के खोले गए खाते के अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के हिस्से में आयी आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 को किसी प्रकार के स्टाम्प की जानकारी नहीं है रेस्पोडेण्ट न.1 द्वारा किसी प्रकार का स्टाम्प प्रस्तुत कर नामान्तरण्करण प्रमाणित करवाया हो तो उसकी भी जानकारी नहीं है।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि नामान्तकरण बटवारा सम्बन्धित विधिवत रूप से किया गया है किसी प्रकार की अनियमिता नहीं बरती गई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के हिस्से में सडक पर मामुली आराजी दी जाकर दुसरी आराजी पीवल दो फसली है उसे अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट न. 1 ने अपने पास रखा होकर रेस्पोडेण्ट नं. 1 ने अपने पास रखा होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 को मकान एवं मकान के पास कुछ आराजी के अलावा दुसरी आराजीयात बटवारे में दी गई है वह पहाडी दरा की है एवं अच्छी आराजीयात अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने कब्जा किये हुए है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पति का एवं पुत्र का स्वर्गवास हो जाने से पुत्री संतान होने से हिस्से की आराजी पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं 1 अतिक्रमी बने हुए है। राजस्व केम्प प्रभारी द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए विधिवत रूप से नामान्तकरण प्रमाणित किया गया है इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमिता नहीं बरती गई है।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि नामान्तकरण वर्ष 27.01.2007 को खोला जाकर खाते अलग कायम हो चुके है। संयुक्त खाते की आराजीयात का नामान्तकरण संख्या 3051 के अनुसार अपीलाण्ट के हिस्से में खाता संख्या 587/399 से कुल खसरे 7 रकबा कुल क्षेत्रफल 0.6100 हेक्टर, रेस्पोडेण्ट न. 1 के हिस्से में खाता न. 251/399 से कुल खसरे 5 कुल रकबा 0.7500 हेक्टर एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

हिस्से में खाता न. 670/399 के कुल खसरा 8 कुल क्षेत्रफल 0.7600 हेक्टर आये हैं। अपीलाण्ट को वर्ष 2007 से खाते अलग अलग कायम होने की जानकारी होते हुए अब इस प्रकार की अपील प्रस्तुत किया जाना विधि एवं न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर मियाद बाहर है। विरासती आराजी का मौके पर किस्म एवं कब्जे के आधार पर समान रूप से बटवारे होकर अलग अलग खाते कायम हो चुके होने से नामान्तकरण किसी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जाकर नामान्तकरण संख्या 3051 को यथावत रखे जाने का आदेश फरमावें।

6. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

7.पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम चुण्डावाडा के खाता स. 509 के सहखातेदार रूपा पिता बदा 1/3, जीवतराम पिता बदा 1/3, गजेन्द्र पिता शान्ती, सविता वेवा शान्ती 1/3 जाति भल ने आपसी सहमति से स्टाम्प 30रू. पर विभाजन पत्र संपादित कर खाता पृथक–पृथक कराने हेतू आपसी बटवारा पत्र अभियान 2007 शिविर ओडाबडा दिनांक 19.01.2007 को तहसीलदार डूंगरपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा नियमानुसार राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के प्रावधान अनुसार विभाजन का आदेश किया गया। तहसीलदार को प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ स्टाम्प पेपर पर सभी सहखातेदारो द्वारा विभाजन सहमति प्रस्तुत की है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में प्रस्तुत कथन साबित नहीं होने से तथा तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा किया गया बटवारा विधि अनुरूप होने से तथा अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 03.03. 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर